उत्तर प्रदेश
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

प्रस्तावना

श्री सुरेश कुमार खन्ना
नगर विकास मंत्री, संसदीय कार्य, शहरी समग्र विकास,
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
उत्तर प्रदेश सरकार

नगरीय अपशिष्ट का प्रबंधन सभी शहरी स्थानीय निकायों का एक प्रमुख तत्व है। सभी शहरी स्थानीय निकायें हर घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट को संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, द्वितीय संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा अंतिम रूप से वैज्ञानिक निपटान करने की श्रृंखला में कठिनाईयों का सामना कर रही है तथा स्रोत का पृथक्करण करने एवं संग्रहण करने में बहुत पीछे है। जैविकीय तथा गैर जैविकीय अपशिष्ट का एक ही लैंडफिल पर निपटान कर दिया जाता है। शहरी स्थानीय निकायें प्रभावकारी सेवायें देने में अक्षम है। अधिकांश शहरी स्थानीय निकायें सम्पूर्ण आवंटित बजट का लगभग 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण पर खर्च कर देती है। 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक उसके परिवहन पर तथा लगभग 10 प्रतिशत उसके उपचार एवं अंतिम निपटान पर व्यय कर देती है। देश के अधिकांश भागों में ट्रान्सफर स्टेशन तथा औपचारिक पुर्नचक्रण सुविधायें विद्यमान नहीं है। जो वाहन सामुदायिक बिनों से अपशिष्ट का संग्रहण करते है, उसे भी वे अधिकांश बड़े नगरीय केन्द्रो पर खुले स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से गैर वैज्ञानिक ढंग से अनियंत्रित तथा बेतरतीव रूप से प्रबंधित लैंडफिल पर निपटान हेतु ले जाते है। ये सभी खुले लैंडफिल स्थल अथवा डंपिंग यार्ड गंभीर पर्यावरणीय खतरों जैसे लीचेट उत्पादन, आग या ग्रीन गैसों का उत्सर्जन तथा जन–स्वास्थ्य के लिये खतरनाक कीड़ो –मकोड़ो के माध्यम से जनित बीमारियों को उत्पन्न करते है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र तथा छोटे कस्बों में और भी अधिक दयनीय है।

उत्तर प्रदेश राज्य में तेजी से हो रहे विकास तथा बढ़ते हुये अपशिष्ट उत्पादन के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की बढ़ती समस्या पर पुनर्विचार की मांग महसूस की जा रही है। इसलिये उत्तर प्रदेश में एक गलत ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली तैयार करने के लिये एक दृष्टि तथा नीति की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। यह नीति स्थानीय संस्थाओं को राज्य मं अपशिष्ट प्रबन्धन लागू करने में मार्गदर्शन देगी तथा भविष्य में भारतवर्ष में विनियामक –खाके के साथ मान्य होगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के गैर वैज्ञानिक ढंग से निपटान के कारण मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। इन सब समस्याओं से निपटने के लिये भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 जारी किये है। इन नियमों में अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण, तथा निपटान हेतु दिशा–निर्देशों को एक व्यापक श्रृंखला दी गयी है। हाल ही में मंत्रालय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 उत्तर प्रदेश राज्य नीति, तथा एस0डब्लू0एम0 2000 पर रणनीति के ऊपर प्रभावी होगे। अपशिष्ट उत्पादकों तथा संस्थाओं के कर्तव्यों को चिन्हित करने तथा कम्पोस्टिंग, भस्मीकरण एवं लैण्डफिल हेतु विशिष्ट पैरामीटर निर्धारित करने है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर यह राज्य नीति एस0डब्लू0एम0 नियम 2016 के साथ लागू होंगे।

प्रस्तावना

श्री मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

अपशिष्ट प्रबन्धन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय, आवासों, उद्योगों तथा सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी है। अपशिष्ट प्रबन्धन का नियोजन एवं प्रदायता नगर पालिकाओं तथा समुदायों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है जबकि प्रान्तीय सरकार को नीतियों, विनियमनों तथा मानकों के निर्धारण द्वारा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एक खाका अवश्य प्रदान करना है।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (नियंत्रण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा हथालन) नियम 2000 का निर्माण किया। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 वर्षो के उपरान्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम पुनरीक्षित करते हुये एस0डब्लू0एम0 नियम, 2016 प्रकाशित किया। पुनरीक्षित एस0डब्लू0एम0 नियम 2016 के अनुच्छेद 11(a) में अनिवार्य रूप से राज्य के लिये एक ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीति का निर्माण करना है जिसमें भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी नियमों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुये ऐसे सभी कूड़ा बीनने वालों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य समान समूहों को सम्मिलित करते हुये हितधारकों के साथ विचार–विमर्श करने के उपरान्त नीति तैयार की जाय।

अधिनियम में ऐसी नीति वर्णित है जिसके अनुसार संस्थाओं को सम्बन्धित शासी विधान के अन्तर्गत उनके विधिक क्षेत्र के मध्य उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट (एस0डब्लू0एम0) का संग्रहण, पृथक्करण, एकत्रीकरण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान करना है। इस संदर्भ में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 एवं अन्य सम्बन्धित विनियमनों के अनुपालन के क्रम में एस0डब्लू0एम0 के प्रभावी हथालन में शहरी स्थानीय निकायों को दिशा देने में पुनर्दृष्टि, विकास तथा समुचित रणनीतिक खाका तैयार करने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावी एवं सक्षम अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली पर चिंतन करते हुये समय की आवश्यकता को पहचाना है जिसमें अपशिष्ट प्रबन्धन के नियोजकों तथा निर्णायकों द्वारा रणनीति के महत्व को पहचानते हुये अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्याओं की अनिश्चितता तथा जटिलताओं से उत्पन्न होने वाली वृद्धि से निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति का निर्माण करने के माध्यम से नवीन खाका तैयार कर इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाया है।

एम0एस0डब्लू0 नीति का निर्माण आर0सी0यू0ई0एस0 लखनऊ ने स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के सहयोग से किया है। यह नीति राज्य में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तथा किफायती प्रबन्धन में शहरी स्थानीय निकायों को दिशा एवं सहयोग प्रदान करेगी।

विषय सूची

उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय 5

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति पर एक नजर 6

1. 1,00,000 तक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय 6
2. 1,00,000 से 10,00,000 तक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय 7
3. 10,00,000 से अधिक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय 7

नीति की परिकल्पना 9

नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य 9

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति हेतु निर्देशक/मार्गदर्शी सिद्धांत 10

भागीदारों की भूमिका व उत्तरदायित्व 12

I. अपशिष्ट उत्पादकों की भूमिका व उत्तरदायित्व 12

II. जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व 13

III. स्थानीय नगरीय निकायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः– 14

IV. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका एवं उत्तरदायित्व 19

V. आवास एवं नगर नियोजन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व : 20

VI. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और निजी बिल्डरों कि भूमिका व उत्तरदायित्वः 21

VII. उद्योग विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व : 21

VIII. राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की भूमिका व उत्तरदायित्व : 21

IX. डिस्पोजेबल उत्पादों तथा सेनेटरी नैपकिन्स और डायपर के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व : 21

X. ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र तथा अपशिष्ट उर्जा संयंत्रों की 100 किमी की परिधि में स्थित औद्योगिक इकाइयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व : 22

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षणः 23

आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षण एवं संचार) 24

पुराने क्षेपणों का पुनरूद्धार 26

सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान 27

कूड़ा उठाने वालों व कबाड़ी वालों की सहभागिता 27

गैर सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी 28

राज्य सरकार द्वारा सहायता : नीति प्रपत्र 29

ठोस अपशिष्ट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यः 31

संलग्नक–1 32

परिभाषाएँ– 32

उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय

भारत के अन्तस्थल में स्थित उत्तर प्रदेश ऐसी भूमि है जहाँ संस्कृतियों और धर्मों का विकास हुआ हैं। उत्तरप्रदेश की महानता न केवल इस तथ्य में निहित है कि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप की दो सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का संगम हुआ है बल्कि इसमें भी निहित है कि यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक परमपराओं का उद्भव भी हुआ है। प्रत्येक ऐतिहासिक काल में इन विशाल नदियों के किनारे महान नगरों का उद्भव होता रहा। गंगा और यमुना के इन मैदानों में विविध धार्मिक विश्वासों, संस्कारों, संस्कृतियों तथा बौद्धिक मतों का विकास हुआ।

- भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के लगभग 9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है ।
- उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसँख्या वाला प्रदेश भी है जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं जिसमें से 15.51 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 4.45 करोड़ लोग नगरीय क्षेत्रों में करते हैं।
- 2001-2011 के दौरान यहाँ की शहरी जनसँख्या में कुल 1.09 करोड़ की वृद्धि हुई है द्य इस प्रकार भारत की कुल जनसँख्या का लगभग 16.50% तथा भारत की कुल शहरी आबादी का लगभग 11.80 % उत्तर प्रदेश में निवास करता है ।

- भारत के कुल 4041 सांविधिक कस्बो में से 648 (अर्थात 16%) उत्तर प्रदेश में विद्यमान है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसँख्या का लगभग 22.28 प्रतिशत नगरीय जनसँख्या है जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 20.78 था अर्थात उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसँख्या महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक है।
- इस प्रकार 2001–2011 के दौरान शहरी जनसंख्या में 1.50 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

- हालांकि, राज्य में शहरीकरण का स्तर (22.28 प्रतिशत) सम्पूर्ण भारत के (31.16 प्रतिशत) आंकड़ों की तुलना में काफी कम है ।
- 1991–2001 के दौरान शहरी जनसँख्या में हुई 31.80 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि के विपरीत 2001–2011 के मध्य शहरी जनसँख्या की दशकीय वृद्धि दर 28.82 प्रतिशत रही ।
- प्रशासकीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों के तहत 75 जिलों में बाँटा गया है। ये मण्डल आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूटधाम, झाँसी, देवी–पाटन, फैजाबाद, बरेली, बस्ती, विन्ध्याचल(मिर्जापुर), मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर हैं ।
- वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत 653 स्थानीय नगरीय निकाय हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 6264.57 वर्ग किमी. है । स्थानीय नगरीय निकायों के तहत 17 नगर निगम (NN), 198 नगर पालिका परिषद् (NNPs) और 438 नगर पंचायतें (NPs) हैं ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति पर एक नजर

1. 1,00,000 तक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय

- दो बिन व्यवस्था के तहत घरेलू स्तर / प्रतिष्ठान स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण (जैविक तथा पुनर्चक्रण योग्य)।
- घर–घर संग्रहण – निजी संस्था अथवा स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा, संग्राहक वाहनों / गाड़ियों में दो बिन की व्यवस्था द्वारा।
- द्वितीयक संग्रहण स्थल पर भी दो बिन व्यवस्था अपना कर।

प्रमुख क्षेत्र

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कृषि है द्य यहाँ मुख्यतः गेंहूँ, चावल, दालें, तिलहन, गन्ना, और आलू जैसी फसलें उगाई जाती हैं द्य गन्ना यहाँ की मुख्य नकदी फसल है द्य पर्यटन, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौधोगिकी उत्पाद तथा हस्तशिल्प राज्य की अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख अंश हैं ।

- भिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन।
- जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को वार्ड स्तर पर स्थापित और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा अथवा आवासीय कल्याण संगठनों द्वारा प्रबंधित वर्मी–कम्पोस्टिंग इकाई में भेजा जाना चाहिए।
- स्थानीय कूड़ा उठानेवालों और कबाड़ीवालों को पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ना तथा उनके द्वारा पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने पर उनका मूल्य चुकाना।
- यदि निकट में कोई औद्योगिक इकाई न हो तो दहनशील पदार्थ (RDF) सामग्री को निकटस्थ किसी बड़े स्थानीय नगरीय निकाय में भेज दिया जायेगा जहाँ से इस सामग्री को आगे किसी औद्योगिक इकाई को भेजा जायेगा।
- निष्क्रिय अपशिष्ट अवशेष को निकटस्थ लैंडफिल स्थल पर भेजा जायेगा (जोकि 10% से अधिक नहीं होगा)।

2. 1,00,000 से 10,00,000 तक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय

- दो बिन व्यवस्था के तहत घरेलू स्तर/प्रतिष्ठान स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण (जैविक तथा पुनर्चक्रण योग्य)।
- घर–घर संग्रहण – निजी संस्था अथवा स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा, संग्राहक वाहनों/गाड़ियों में भी दो बिन की व्यवस्था द्वारा ।
- द्वितीयक संग्रहण स्थल पर भी दो बिन व्यवस्था अपना कर।
- भिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन।
- जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को नगर स्तर पर स्थापित और निजी संस्था अथवा नागरिक संगठनों द्वारा प्रबंधित वर्मी–कम्पोस्टिंग इकाई में भेजा जायेगा।
- स्थानीय कूड़ा उठानेवालों और कबाड़ीवालों को पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ना तथा उनके द्वारा पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने पर उनका मूल्य चुकाना।
- RDF सामग्री को निकटस्थ औद्योगिक इकाई में भेजा जायेगा।
- निष्क्रिय अपशिष्ट अवशेष को निकटस्थ लैंडफिल स्थल पर भेजा जायेगा (जोकि 10% से अधिक नहीं होगा)।

3. 10,00,000 से अधिक की जनसँख्या वाली स्थानीय नगरीय निकाय

- तीन बिन व्यवस्था के तहत घरेलू स्तर/प्रतिष्ठान स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्करण।
- घर–घर संग्रहण – निजी संस्था अथवा स्थानीय नगरीय निकाय के द्वारा, संग्राहक वाहनों/गाड़ियों में भी तीन बिन की व्यवस्था होगी।

- द्वितीयक संग्रहण स्थल पर भी दो बिन व्यवस्था अपना कर।
- भिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन।
- जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को नगर स्तर पर स्थापित और निजी संस्था अथवा नागरिक संगठनों अथवा आवासीय कल्याण संगठनों द्वारा प्रबंधित कम्पोस्टिंग इकाई में भेजा जायेगा।
- स्थानीय कूड़ा उठानेवालों और कबाड़ीवालों को पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ना तथा उनके द्वारा पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने पर उनका मूल्य चुकाना।
- RDF सामग्री को (पीपीपी मोड पर) अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना हेतु भेजा जायेगा।
- निष्क्रिय अपशिष्ट अवशेष को निकटस्थ लैंडफिल स्थल पर भेजा जायेगा (जोकि 10% से अधिक नहीं होगा)।

समस्त स्थानीय नगरीय निकायों को निम्नलिखित से सम्बंधित नियम बनाने चाहिये :

- स्रोत स्तर पर अपशिष्ट के पृथक्करण और उपभोक्ता शुल्क लगाये जाने हेतु।
- कूड़ा फैलाने को प्रतिबंधित किये जाने हेतु।
- अपशिष्ट को जलाने सम्बन्धी।
- खुले में शौच सम्बन्धी।

नीति की परिकल्पना

यह नीति जिस दृष्टिकोण को अग्रसर करती है वह है:

एक ऐसे स्वस्थ, समृद्ध एवं संसाधन संपन्न समाज का निर्माण जिसमें जहाँ तक संभव एवं हितकर हो अपशिष्ट का प्रतिषेध, न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, एवं पुनर्चक्रीकरण किया जाये और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से उसका निपटान किया जाये

नीति के लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस नीति के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- उत्तर प्रदेश के शहरों व कस्बों में स्वस्थ, स्वच्छ और रहने योग्य पर्यावरण हेतु स्वच्छता सम्बन्धी उच्च मानकों की प्राप्ति।
- अपशिष्ट उत्पादन के न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण तथा नगर पालिकीय ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के अधिकतम उपयोग व पुनर्प्राप्ति पर बल दिया जायेगा जिससे लैंडफिल स्थल पर भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के साथ–साथ मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को न्यूनतम करना सुनिश्चित हो सके।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नीति का विकास राज्य में एक विकेंद्रीकृत/एकीकृत एवं लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को तैयार करने, क्रियान्वित करने तथा संचालित किए जाने के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क व अन्य स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त राजस्व प्रवाह हेतु किया गया है।
- साझेदारी, बिक्री अथवा पुनरुपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गये अपशिष्ट स्रोतों यथा उच्च मूल्य वाले पुनर्चक्रित, निम्न मूल्य वाले पुनर्चक्रित, कम्पोस्ट, दहनशील पदार्थ (RDF) को अपशिष्ट ऊर्जा उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाकर इनका अन्तिम उपयोग अथवा शोधन सुनिश्चित करना।
- अपशिष्ट के स्रोतों, प्रकृति, मात्रा और स्थिति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़े व सूचनायें अपशिष्ट संबंधी नियमन व प्रबंधन में पर्याप्त रूप से व्यापक और विश्वसनीय हैं विशेषतः

इस नीति का समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है

"उत्तर प्रदेश की अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को आर्थिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी होने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देने वाला होना चाहिये। "

अपशिष्ट उत्पादन की रोकथाम, पुर्नप्राप्ति एवं पुनर्चक्रण में प्रभावी रूप से सहायक हैं।

- एक विकेंद्रीकृत/एकीकृत एवं लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के इष्टतम विकास व संचालन की प्राप्ति हेतु अंशधारकों, संस्थानों और संगठनों में उनकी भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति पर्याप्त जागरूकता व समझ अवश्य होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति हेतु निर्देशक/मार्गदर्शी सिद्धांत

जनसँख्या वृद्धि और नगरीकरण के साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन राज्य हेतु एक व्यापक चुनौती के रूप में उभरा है। समय के साथ–साथ न केवल अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है अपितु विभिन्न प्रकार के नए–नए उत्पादों, उपकरणों और संयंत्रों के आने से अपशिष्ट के अभिलक्षणों में भी व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

पृथक्करण, संग्रहण, शोधन एवं निस्तारण के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उचित तरीके से ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण पर्यावरण पर पड़ने वाले अपशिष्ट के दुष्प्रभाव को न्यूनतम बना देता है । स्थानीय नगरीय प्राधिकारी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंकरण तथा निस्तारण हेतु अवसंरचना के विकास हेतु उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है–

- **स्रोत स्तर पर न्यूनीकरण व पुनरुपयोग** : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट उत्पादन के प्रतिषेध एवं पुनरुपयोग के विकल्प को बढ़ावा देंगे । ये न केवल अपशिष्ट के प्रबंधन, शोधन व निस्तारण व्यय को कम करने में सहायक होगा अपितु पर्यावरण पर पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों यथा लीचिंग, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होगा ।
- **अपशिष्ट पुनर्चक्रण** : पृथक्करण, संग्रहण, और पुनर्प्रसंकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त पुनरूपयोगी पदार्थों द्वारा नए उत्पादों का निर्माण अगला प्रमुख विकल्प होगा ।
- **अपशिष्ट द्वारा कम्पोस्टिंग** : जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैविक अंश को कम्पोस्ट किया जाना चाहिये और इसका उपयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु किया जाना चाहिये।
- **अपशिष्ट ऊर्जा:** जहाँ अपशिष्ट से पदार्थ पुनर्प्राप्ति संभव नहीं है वहाँ ऊष्मा, विद्युत अथवा ईंधन उत्पादन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति को प्राथमिकता दी जा सकेगी। जैव– मिथेनेशन, प्लास्टिक से तेल, अपशिष्ट से पैलेटों, अपशिष्ट दहन, अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF) का उत्पादन, तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट से पृथक किए गये सूखे अवशिष्ट के सह–प्रसंस्करण को "अपशिष्ट से उर्जा" प्रौद्योगिकी के तहत सामान्य रूप से अपनाया जायेगा।
- **अपशिष्ट निस्तारण** : शेष बचे हुए अपशिष्ट को जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय अनुपयोगी पदार्थ शामिल होते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप निर्मित किए गये सैनिटरी लैंडफिलों में निस्तारित

किया जाना चाहिए। लक्ष्य यह निर्धारित किया जाना चाहिये कि लैंडफिल स्थलों तक न्यूनतम अपशिष्ट पहुंचे (अधिकतम 10%)

- **स्रोत स्तर पर प्रभावी पृथक्करण:** स्रोत स्तर के साथ ही प्रसंस्करण इकाईयों पर दो कूड़ेदान और पृथक्करण की व्यवस्था | घरेलू खतरनाक अपशिष्टों जैसे कि बैटरी, ब्लेड, रेजर आदि का पृथक रूप से एकत्रीकरण व देखरेख की जानी चाहिए।
    - ➢ 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग पर रोक का प्रभावी क्रियान्वयन।
    - ➢ अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण।
    - ➢ एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिये द्य अपशिष्ट न्यूनीकरण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से ऊर्जा सम्बंधी रणनीतियाँ तथा लैंडफिल गैस का नियंत्रण व उपयोग जिन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को घटाने की प्रमुख रणनीतियां हैं |
    - ➢ समुचित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा |
    - ➢ वर्ष के 365 दिन निश्चित समय पर अपशिष्ट का 100% संग्रहण और यह सुनिश्चित करना कि एक बार घरों से एकत्र हो जाने के पश्चात् यह पुनः जमीन पर न पहुंचे।
    - ➢ नियत परिवहन।
    - ➢ अधिकतम संसाधनों की प्राप्ति – वार्डों में सामग्री प्राप्ति केन्द्रों की स्थापना।
    - ➢ प्रदूषणकर्ता भुगतान करे– स्थानीय नगरीय निकायों को दण्ड शुल्क में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिये यथा कूड़ा फैलाने हेतु 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों के उत्पादन, विक्रय और उपयोग हेतु 50,000 रुपये।
    - ➢ दैनिक सड़क की सफाई – मुख्य सड़कों व बाजारों में मुख्यतः रात्रि में सफाई।
    - ➢ कूड़ा बीनने वालों के लिए सामाजिक एवं स्वास्थ्य बीमा।
    - ➢ प्रभावी आई.ई.सी. और क्षमता संवर्धन।

भागीदारों की भूमिका व उत्तरदायित्व

I. अपशिष्ट उत्पादकों की भूमिका व उत्तरदायित्व

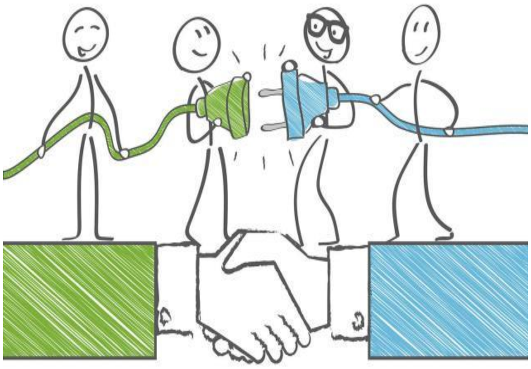

1. प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को चाहिए कि :

- स्वयं द्वारा उत्पादित अपशिष्ट को तीन विभिन्न प्रकारों में यथा जैवनिम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल), अजैव–निम्नीकरणीय (नॉन–बायोडिग्रेडेबल), खतरनाक घरेलू अपशिष्ट में पृथक कर उचित प्रकार के कूड़ेदानों में एकत्र करे और इस पृथक्कृत अपशिष्ट को समय–समय पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार या अधिसूचनानुसार अधिकृत कूड़ा उठानेवाले को अथवा अपशिष्ट संग्राहक को सौंपे| इस हेतु स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा कूड़ेदानों के लिए तीन रंगों वाली योजना की सूचना जारी की जानी चाहिये |
- उपयोग किए जा चुके सेनेटरी अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सेनेटरी पैड्स आदि को निर्माता द्वारा अथवा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशानुसार उपयुक्त पदार्थ में लपेट कर सूखे कूड़े हेतु निर्धारित कूड़ेदान में अथवा अजैव–निम्नीकरणीय (नॉन–बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट हेतु निर्धारित कूड़ेदान में रखे |
- दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यापरियों द्वारा उक्त स्थल पर ही पृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण|
- जब और जैसे भी निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट उत्पन्न हो उसे स्वयं के परिसर में पृथक रूप से एकत्रित करे और स्थानीय नगरीय निकाय इसका निस्तारण निर्माण एवं ध्वन्स जनित अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुरूप करे, और
- समय–समय पर स्थानीय निकाय द्वारा जारी निर्देशानुसार घरों अथवा परिसरों से उत्पन्न होने वाले उद्यानीय अपशिष्ट तथा बाग–बगीचे वाले अपशिष्ट को स्वयं के परिसर में ही पृथक रूप से एकत्रित व निस्तारित करे |

2. कोई भी अपशिष्ट उत्पादक स्वयं द्वारा उत्पादित किए गये ठोस अपशिष्ट को सड़कों पर, अपने परिसर के बाहर खुले सार्वजानिक स्थलों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा न ही जलाएगा अथवा गाड़ेगा |
3. प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ऐसे उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि स्थानीय निकाय की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया जाए |
4. कोई भी व्यक्ति स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी अननुज्ञापित स्थल पर सौ से ज्यादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा |

5. प्रत्येक सड़क विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा यथा भोज्य–अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि, और इन्हें स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा |
6. सभी आवास कल्याण तथा बाजार संघ स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार स्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किए जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्त्ता को सौंपेंगे | जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव–निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव–मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्राहकों अथवा अभिकरणध्संस्था को सौंपा जायेगा |
7. समस्त निवासी समुदाय, संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेंट्स जिनके पास 5000 वर्ग मी. का क्षेत्र है स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी करके नियमानुसार स्रोत स्तर पर ही उत्पादकों द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट को भिन्न रूप में संग्रहित किए जाने में सहायता प्रदान करेंगे और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्त्ता को सौंपेंगे | जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव–निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव– मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्राहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |

II. जिलाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1- जिलाधिकारी, राज्य नगर विकास विभाग के सचिव के साथ गहन समन्वय स्थापित करते हुए अपने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के उपनियम (एफ) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण इकाई की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि के अभिनिर्धारण व आवंटन को सुलभ बनाकर स्थानीय प्राधिकरणों को सुविधा एवं सहायता उपलब्ध करायेगा |

2- प्रत्येक स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निस्तारण हेतु भूमि की उपलब्धता शासनादेश संख्याः 4520/नौ–8–2017–153जे/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के अनुरूप अगले छः माह में करायी जानी होगी |

3- जिलाधिकारी तिमाही कम से कम एक बार अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और निस्तारण से सम्बंधित स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और आयुक्त अथवा निदेशक, स्थानीय निकाय

तथा सचिव, राज्य नगर विकास विभाग के साथ परामर्श कर सुधारात्मक उपायों को अपनायेगा |

III. स्थानीय नगरीय निकायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः–

➢ **उपविधियों का निर्माण और संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरणः**

1- स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट फैलाने और जलाने को दंड सहित निषिद्ध किए जाने हेतु उपविधि का निर्माण करेंगे | कूड़ा फैलाने हेतु कम से कम 1000 रुपये और निषिद्ध किए गये पॉलिथीन बैगों (50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले) के उत्पादन, विक्रय और उपयोग हेतु न्यूनतम 50,000 रुपये दंड निर्धारित किया जाना चाहिए |

2- स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण व पृथक्करण हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क को निर्दिष्ट करते हुए उपविधि का निर्माण करेंगे |

3- स्थानीय नगरीय निकाय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण हेतु निजी संचालकों को नियुक्त कर सकेंगे, जहाँ संचालक गृह स्वामियों अथवा प्रतिष्ठानों से उपयोगकर्त्ता शुल्क हेतु मोल–भाव कर सकेगा |

4- प्रत्येक नगर निगम और नगर पालिका परिषद वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति का गठन करेंगे |

5- राज्य नीति की अधिसूचना की तारीख से छः माह के भीतर राज्य, नीति के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का निर्माण करेगा और इसकी एक प्रतिलिपि सरकार को जमा करेगा |

6- समस्त कूड़ा उठाने वालों का पंजीकरण कर उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये जाएगे।

➢ **प्राथमिक संग्रहण :**

1- स्रोत स्तर पर ही अपशिष्ट के पृथक्करण को सुनिश्चित करना, पुर्नप्राप्ति, पुनरुपयोग व पुनर्चक्रण द्वारा अपशिष्ट से द्रव्य/धन की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना | तीन बिन (कूड़ेदान) प्रणाली का अनुसरण (हरित अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट) |

2- मलिन बस्तियों व अनौपचारिक बसावों, व्यापारिक, संस्थानिक तथा अन्य अनावासीय परिसरों सहित समस्त घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के द्वार–द्वार एकत्रण की व्यवस्था करना द्य बहुमंजिली इमारतों, वृहद् व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों, मॉलों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सों आदि से सम्बंधित मामलों में इस अपशिष्ट का संग्रहण प्रवेश–द्वार से अथवा किसी अन्य निर्धारित स्थान से किया जा सकता है |

3- अपशिष्ट उठानेवालों अथवा अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों के संगठनों की पहचान की व्यवस्था विकसित करना तथा एक ऐसी प्रणाली विकसित एवं प्रोत्साहित करना जिसके माध्यम से इन अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन सहित अपशिष्ट के द्वार–द्वार एकत्रण की प्रणाली में भागीदारी निभाने हेतु एकीकृत किया जा सके |

4- स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहयोग प्रदान करना तत्पश्चात इन्हें अपशिष्ट के द्वार–द्वार एकत्रण सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था से एकीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करना |

5- सफाई कर्मियों व अन्य लोगों को निर्देशों के साथ–साथ इस बात की शिक्षा प्रदान करना कि वे ठोस अपशिष्ट, सड़क सफाई के दौरान एकत्र हुई पेड़ की पत्तियों को न जलायें तथा इन्हें पृथक रूप से भंडारित कर स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत संस्था/अभिकरण को अथवा अपशिष्ट संग्राहक को सौंपे |

6- सब्जी, फल, फूल, मीट, मछली और मुर्गा/पोल्ट्री बाजारों से दैनिक रूप से अपशिष्ट का एकत्रण किया जाना और बाजारों में उपयुक्त स्थल पर अथवा उनके निकट स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रित कम्पोस्ट प्लांट अथवा जैव– मिथेनेशन प्लांट स्थापित किए जाने को प्रोत्साहित करना |

7- एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिसके द्वारा मंडियों, सब्जी एवं फल बाजारों से अपशिष्ट को एकत्र कर कान्हा गौशाला के लिए भेजा जा सके | भारत सरकार और राज्य सरकार के कृषि तथा उद्यान संस्थानों से कान्हा गौशाला का लिंक स्थापित करना जिससे कि इन संस्थानों को जानवरों के चारे व खाने के बदले में खाद की आपूर्ति की जा सके |

8- उद्यानों, पार्कों तथा बगीचों के अपशिष्ट का पृथक् रूप से एकत्रण और जहाँ तक संभव हो इनका पार्कों अथवा बगीचों में ही निस्तारण करना |

9- उपयोग किए जा चुके सेनेटरी अपशिष्ट जैसे कि डायपर, सेनेटरी पैड्स आदि को निर्माता द्वारा अथवा ब्राण्ड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर अथवा उपयुक्त पदार्थ में लपेट कर खतरनाक अपशिष्ट हेतु निर्धारित कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए |

10- अपशिष्ट के थोक व संस्थानिक उत्पादकों, बाजार संगठनों, समारोह आयोजकों तथा होटलों व रेस्टोरेंटों को अपशिष्ट के पृथक्करण व वर्गीकरण हेतु सीधे तौर पर उत्तरदायी बनाया जायेगा और स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी के माध्यम से वे इसका प्रबंधन करेंगे |

11- समस्त होटल व रेस्टोरेंट्स जैव–विघटनीय अपशिष्ट का पृथक्करण करेंगे और संग्रहण की ऐसी प्रणाली स्थापित करेंगे अथवा स्थानीय निकाय दवारा स्थापित संग्रहण की व्यवस्था का पालन करेंगे जिससे कि ऐसे खाद्य अपशिष्ट का उपयोग कम्पोस्टिंग/बायो– मिथेनेशन सुनिश्चित हो सके |

12- समस्त आवास कल्याण, बाजार संगठन, निवासी समुदाय व संस्थान, जिनके पास 5000 वर्ग मी. से ज्यादा का क्षेत्र है, स्रोत स्तर पर ही मूल्यवान सूखे अपशिष्ट यथा प्लास्टिक, टिन, कॉंच, पेपर, आदि का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, और पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को या तो अधिकृत अपशिष्ट संग्राहकों को अथवा अधिकृत पुनर्चक्रण कर्त्ता अथवा स्थानीय नगरीय निकाय को सौंपेंगे | जहाँ तक संभव हो अपशिष्ट के जैव–विघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) अंश को परिसर के अन्दर ही कम्पोस्टिंग अथवा जैव–

मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करित, शोधित व निस्तारित किया जायेगा | अपशिष्ट के अवशिष्ट अंश को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्राहकों अथवा अभिकरण/संस्था को सौंपा जायेगा |

13- नई टाउनशिपों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जैव–विघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट के प्रबंधन व प्रसंस्करण की आन्तरिक व्यवस्था विकसित करने हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये |

14- प्रत्येक सड़क विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुये अपशिष्ट के भण्डारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान रखेगा यथा भोज्य–अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, कैन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि, और इन्हें स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों/डिपो में अथवा वाहनों में डालेगा |

15- स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे घरो, एकीकृत टाउनशिपों और अत्याधुनिक टाउनशिपों को सम्पत्ति कर में छूट प्रदान करनी चाहिए जो शून्य अपशिष्ट उत्पादित करते हों |

16- एक ऐसी प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिये जिसके तहत अपशिष्ट का संग्रहण करने वाले सफाई कर्मचारी अपशिष्ट को पुनः घरेलू स्तर पर ही पृथक कर सकें इसके साथ ही उन्हें पुनर्चक्रित किए जा सकने वाले सामानों को बेचने तथा इससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिये | यह उचित पृथक्करण को सुनिश्चित करेगा |

17- सफाई कर्मचारियों की निगरानी व उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आई.सी.टी. प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिये |

➢ **द्वितीयक संग्रहण स्थल**

1- प्रत्येक द्वितीयक संग्रहण स्थल पर दो कूड़ेदानों की व्यवस्था को सुनिश्चित करना |

2- वार्डों में पर्याप्त स्थानयुक्त सामग्री पुर्नप्राप्ति सुविधा स्थलों अथवा द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों की स्थापना करेंगे जिससे कि अनौपचारिक अथवा अधिकृत कूड़ा उठाने वाले व अपशिष्ट संग्राहक अपशिष्ट से पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रियों को पृथक करने में सक्षम हो सकें | पृथक्कृत पुनर्चक्रणयोग्य अपशिष्ट यथा पेपर, प्लास्टिक, धातुओं, ग्लास, कपड़ों आदि के स्रोत स्थल अथवा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थल से एकत्रण हेतु कूड़ा उठाने वालों व पुनर्चक्रणकर्त्ताओं की पहुँच को सुगम बनाना |

3- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्रों की स्थापना करना तथा अपशिष्ट उत्पादकों को निर्देश जारी करना कि वे घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु उसे इन केन्द्रों में निक्षेपित/जमा करें | इस तरह के सुविधा केंद्र प्रत्येक शहर अथवा कस्बे में बीस वर्ग किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए स्थापित किये जायेंगे और इन केंद्रों पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को प्राप्त करने के समय को सूचित किया जायेगा

4- जहाँ पर सीधे परिवहन वाहन में सीधे संग्रहण किया जाना असुविधाजनक हो वहाँ पर सड़क सफाई व नालियों से निकली गाद/कचड़े के अस्थायी भण्डारण हेतु बंद द्वितीयक सुविधा केंद्र स्थापित किये जायेंगे |

➢ **अपशिष्ट का परिवहन**

1- पृथक्कृत जैव–विघटनीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधा स्थलों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव–मिथेनेसन प्लांट, अथवा ऐसी किसी अन्य सुविधा स्थल को किया जायेगा | ऐसे अपशिष्ट के ऑन–साईट प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये |

2- गैर–जैव–अपघटनीय अपशिष्ट का संबंधित प्रसंस्करण सुविधा स्थल अथवा सामग्री पुर्नप्राप्ति सुविधा स्थलों अथवा द्वितीयक संग्रहण सुविधा स्थल में परिवहन किया जायेगा |

3- समस्त अपशिष्ट का पृथक्कृत रूप में बंद वाहनों के माध्यम से परिवहन किया जायेगा |

4- ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में लगे हुए वाहनों की निगरानी हेतु आई.सी.टी. तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीकी |

➢ **अपशिष्ट का प्रसंस्करण**

1- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अंशों के अधिकतम उपयोग हेतु स्वयं आवास कल्याण समितियों द्वारा अथवा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अथवा किसी अभिकरण/एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व उससे सम्बंधित अवसंरचनाओं के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध कराना | परिवहन व्यय तथा पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम रखने हेतु विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये यथा –

क)जैव– मिथेनेशन, सूक्ष्मजैवीय–कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, अवयवीय विघटन अथवा जैव–विघटनीय अपशिष्ट के जैव–स्थिरीकरण हेतु कोई अन्य उपयुक्त प्रक्रिया |

ख)अपशिष्ट के दहनशील अंश हेतु अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन सहित अपशिष्ट से उर्जा प्रक्रिया अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों य सीमेंट भट्ठों हेतु फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति |

2- अपशिष्ट– ऊर्जा परियोजनाओं, प्लास्टिक से तेल निर्माण की परियोजनाओं की स्थापना हेतु सुविधा उपलब्ध कराना |

➢ **अक्रिय अपशिष्ट का निस्तारण :**

1- मिश्रित अपशिष्ट के क्षेपण (डंपिंग) को रोकना द्य निस्तारण केवल निर्दिष्ट सेनेटरी लैंडफिल स्थल पर

करना ।

2- लैंडफिल स्थल पर मात्र अनुपयोगी, पुनर्चक्रण–अयोग्य, जैव–अविघटनीय, अ–दहनशील और अक्रियाशील अक्रिय अपशिष्ट तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई द्वारा पूर्व–प्रसंस्करण त्यक्त व अवशिष्ट अंशों को ही ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिये । तथापि लैंडफिल स्थल तक शून्य अपशिष्ट भेजे जाने के वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु अवशिष्ट के पुनर्चक्रण व पुनरुपयोग के हर संभव प्रयत्न किए जाने चाहिये ।

3- समस्त पुराने खुले क्षेपण स्थलों (डंप साइट) और मौजूदा संचालित क्षेपण स्थलों की जैव– खुदाई (बायो–माइनिंग) व जैव–उपचारण (बायो–रेमेडिएशन) क्षमता का निरीक्षण एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए और जहाँ कहीं संभव हो इन स्थलों की जैव–खुदाई एवं जैव–उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाई की जानी चाहिये ।

4- क्षेपण स्थलों में जैव– खुदाई (बायो–माइनिंग) व जैव–उपचारण (बायो–रेमेडिएशन) क्षमता न होने की स्थिति में इन स्थलों को लैंडफिल कैपिंग मानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से ढक दिया जाना चाहिये जिससे कि इसके द्वारा पर्यावरण को हो सकने वाली किसी भी क्षति को रोका जा सके ।

5- स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लैंडफिल स्थलों को नगर एवं देश नियोजन विभाग द्वारा तैयार किए गये मास्टर प्लान में अवश्य समाहित किया गया हो ।

6- स्थानीय नगरीय निकाय अपने सेनेटरी लैंडफिल स्थलों का विकास करेंगे ।

➢ **अन्य गतिवधियां :**

1- आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु वार्षिक योजना तैयार करना और शैक्षिक संस्थानों में आई.ई.सी. गतिविधियों को बढ़ावा देना ।

2- दैनिक क्रियाकलापों में निषिद्ध प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना और जितना भी प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादित हो उसका उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाये ।

3- निर्माण एवं ध्वंस जनित अपशिष्ट को पृथक रूप से भंडारित किया जाना चाहिये और निर्माण एवं ध्वंस जनित अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार इसका पृथक रूप से निस्तारण किया जाना चाहिये ।

4- जैव–चिकत्सकीय अपशिष्ट का निस्तारण जैव चिकित्सा नियम के अनुरूप किया जाना चाहिए । स्थानीय नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि जैव–चिकत्सकीय अपशिष्ट नगरीय अपशिष्ट के साथ मिश्रित न होने पाये ।

5- विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक इकाई व औद्योगिक पार्क के विकासकर्त्ताओं हेतु कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5: भाग अथवा न्यूनतम 5 प्लाट/शेड को पुनर्प्राप्ति व पुनर्चक्रण की सुविधा स्थापित करने

हेतु छोड़े जाने का मानक नियत किया जाना चाहिये |

6- डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे कि टिन, ग्लास, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि को बाजार में प्रस्तुत करने वाले समस्त निर्माता अथवा ब्रांड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे |

7. स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों व बगीचों में और इसके क्षेत्राधिकार के अंदर जहाँ कहीं भी संभव हो दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को समाप्त कर कम्पोस्ट का प्रयोग किया जायेगा | अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण सेक्टर के माध्यम से पुनर्चक्रण सम्बन्धी पहलों को सहयोग उपलब्ध कराया जा सकता है | कृषि संस्थानों व पार्कों में स्थापित कम्पोस्ट प्लांटों द्वारा उत्पादित खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना |

8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी हेतु स्थानीय नगरीय निकाय ई–दखल को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे |

IV. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

1. **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :**

क) राज्य के भीतर, स्थानीय निकायों के माध्यम से उनके क्षेत्राधिकारों में इन नियमों का प्रवर्तन करवायेगा और निदेशालय, नगरपालिका प्रशासन अथवा राज्य के नगर विकास विभाग के सचिव के साथ निकटस्थ समन्वय से वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों को कार्यान्वित किए जाने की समीक्षा करेगा |

ख) पर्यावरणीय मानकों और अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण स्थलों हेतु अनुसूची–I व अनुसूची–II में नियत विशिष्ट शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा |

ग) अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण स्थलों की स्थापना हेतु स्थानीय निकाय द्वारा अथवा स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी अन्य अभिकरण/एजेंसी द्वारा फॉर्म–I के तहत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण कर जैसा भी उचित हो वैसी जांच करेगा |

घ) अनुज्ञप्ति सम्बन्धी प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान अन्य अभिकरणों यथा राज्य नगर विकास विभाग, जिला विकास विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जिला नियोजन समिति अथवा महानगरीय क्षेत्र नियोजन समिति, हवाई अड्डा अथवा एयरबेस प्राधिकरण, भू–जल बोर्ड, रेलवे, विद्युत वितरण कम्पनीज, राजमार्ग विभाग व अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के सम्बंधित अधिनियमों के तहत आवश्यक सहमति और विचारों को ध्यान में रखा जायेगा और इन्हें अपना मंतव्य, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया जायेगा |

ङ) स्थानीय निकाय या किसी सुविधा प्रचालक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण

को प्रारूप 2 में साठ दिन की अवधि के भीतर प्राधिकार जारी किया जाएगा। जिसमें यथाआवश्यक अन्य शर्तों सहित अनुसूची 1 और 2 में यथाविनिर्दिष्ट अनुपालन मापदंड और पर्यावरण मानक अधिकथित हों।

च) ऐसे प्राधिकार की विधिमान्यता सहमतियों की विधिमान्यता के साथ समकालिक होगी।

छ) यदि स्थानीय प्राधिकरण या सुविधा प्रचालक सुविधा का प्रचालक विहित शर्तों के अनुसार करने में असफल रहता है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खंड (क) के अधीन जारी उक्त प्राधिकार को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।

परन्तु यथास्थिति, स्थानीय निकाय या प्रचालक को सूचना दिये बिना ऐसे कोई प्राविधान निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा और

ज) नवीनीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, प्रत्येक आवेदन की गुणागुण के आधार पर परीक्षण करने के पश्चात और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सुविधा के प्रचालन में नियमों के सभी उपबन्धों, प्राधिकार, सहमति या पर्यावरण अनापत्ति में विनिर्दिष्ट मानकों या शर्तों को पूर्ण कर दिया है, अगले पॉच वर्षां के लिए प्राधिकार का नवीनीकरण करेगा।''

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात प्राधिकार अनुदत्त करने या नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।
3. नई प्राद्योगिकियों के मामले में, जहॉ सथास्थिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कोई मानक विहित नहीं किया गया है, मानक विनिर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेदन करेगा।
4. यथा निर्दिष्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति जब कभी उचित समझे किन्तु वर्ष में कम से कम से एक बार, यथाअभिहित अथवा अधिकथित मानकों तथा यथानुमोदित उपचार प्रौद्योगिकी तथा प्राधिकार में निर्दिष्ट शर्तों व नियमों के अधीन अनुसूची–1 और अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा ।
5. खतरनाक अपशिष्ट निक्षेपण स्थल पर अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा निक्षेपित खतरनाक घरेलू अपशिष्ट के सुरक्षित देखरेख व निस्तारण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर सकेगा।
6. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट के अंतर राज्यीय संचालन को विनियमित कर सकेगा ।

V. आवास एवं नगर नियोजन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व :

1. 200 से अधिक घरों अथवा 5000 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड के ग्रुप–हाउसिंग, अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों अथवा किसी भी अन्य अनावासीय काम्प्लेक्स के लिए बनायी जाने वाली विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण हेतु पृथक्करण व भण्डारण हेतु पृथक स्थान

का सीमांकन/निर्धारण सुनिश्चित करना |

2. यह सुनिश्चित करना कि राज्य के प्रत्येक शहर हेतु निर्मित महायोजना/मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण व निस्तारण की सुविधा स्थापना हेतु स्पष्ट मानक प्रावधान किये गए हों |
3. स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित/सीमांकित किये गये लैंडफिल स्थलों को अपनी महायोजना/मास्टर प्लान में समाविष्ट करना |
4. शासनादेश संख्या 563/8–3–12–27 विविध/08 दिनांक 02.03.2012 के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा |
5. क्षेत्रीय योजनाओं में सेनेटरी लैंडफिल स्थल हेतु जगह उपलब्ध करायेगा |
6. स्थानीय नगरीय निकायों को आवश्यकतानुसार उनकी योजनाओं के तहत अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों हेतु जगह उपलब्ध करवायेगा |

VI. हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों और निजी बिल्डरों कि भूमिका व उत्तरदायित्वः

1. सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिक अथवा आवासीय कॉलोनियों की योजना बनाये जाने के दौरान ही अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्थान का निर्धारण अवश्य कर दिया गया हो |
2. सभी शून्य अपशिष्ट उत्पादक समुदाय बनाने का प्रयास करेंगे |

VII. उद्योग विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

1. विस्तारित उत्पादक दायित्वों के तहत राज्य के समस्त उद्योगों को जहाँ तक संभव हो पुनर्चक्रण हेतु पैकेजिंग पदार्थ को वापस एकत्र किये जाने के लिए अधिसूचित करेगा |
2. राज्य के ऐसे समस्त उद्योगों को जहाँ अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF) का उपयोग होता है, निर्देशित करेगा कि वे निकटस्थ स्थानीय नगरीय निकाय से (100 किमी की परिधि) अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (RDF) उठायें |

VIII. राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की भूमिका व उत्तरदायित्व :

1. यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्वयं सहायता समूह, शहरी गरीब इलाके और शहरी गरीब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बंधित स्थानीय नगरीय निकाय की नवपहल को सहयोग प्रदान करें |
2. घर घर संग्रहण, पृथक्करण और वर्मी कम्पोस्टिंग प्लांट को चलाने हेतु गरीबों के समूह गठित करने का प्रयत्न करेंगे | इस उद्देश्य हेतु ये गरीबों को प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने हेतु एन0यू0एल0एम0 और अन्य योजनाओं के अंतर्गत धन का उपयोग कर सकेंगे |

IX. डिस्पोजेबल उत्पादों तथा सेनेटरी नैपकिन्स और डायपर के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामियों की भूमिका

एवं उत्तरदायित्व :

1. समस्त ब्रांड स्वामी, जो अपने उत्पादों को ऐसे पैकेजिंग पदार्थ में बेचते अथवा प्रचारित करते हैं जो कि जैविक रूप से विघटनीय न हों, एक ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिसके तहत उनके उत्पादों के कारण उत्पादित पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस इकठ्ठा किया जा सके |
2. सेनेटरी नैपकिन्स और डायपर्स के निर्माता अथवा ब्रांड स्वामी अथवा उनके विपणन की कम्पनियाँ उनके उत्पादों में पूर्णतः पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगायेंगे अथवा अपने सेनेटरी उत्पाद के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन व डायपर के निस्तारण हेतु थैले अथवा रैपर उपलब्ध कराएंगे |
3. ऐसे समस्त निर्माता, ब्रांड स्वामी अथवा विपणन कम्पनियाँ उनके उत्पादों को उचित रूप से रैप कर निस्तारित किए जाने के प्रति जनता को शिक्षित/जागरूक करेंगे |

X. ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र तथा अपशिष्ट उर्जा संयंत्रों की 100 किमी की परिधि में स्थित औद्योगिक इकाइयों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

1. समस्त औद्योगिक इकाइयाँ जो कि ईंधन का उपयोग कर रही हों और ठोस अपशिष्ट पर आधारित अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन संयंत्र से 100 किमी की परिधि में अवस्थित हों इन नियमों की अधिसूचना के पश्चात छः माह के भीतर अपनी कुल ईंधन आवश्यकता के कम से कम 5% भाग को उत्पादित किए जा रहे अवशिष्ट व्युतपन्न ईंधन से बदल देगा |

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण:

इस नीति के सन्दर्भ में, यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रदेश भर में स्थानीय नगरीय निकायों और विभागों की दक्षता में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सुधार की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रशिक्षण एक महतवपूर्ण घटक है | यह सर्वज्ञात है कि क्षमता संवर्धन एक दीर्घ कालिक प्रक्रिया है और मांग तथा आपूर्ति से संबन्धित सेवा प्रदायता हेतु जिसके लिए राज्य व स्थानीय नगरीय निकायों के स्तर पर निरंतर व्यवस्थित प्रयत्नों की आवश्यकता है |

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्षमता संवर्धन सम्बंधित दृष्टिकोण में न केवल तकनीकी और आर्थिक पक्ष समाहित होने चाहिए अपितु निम्न को भी आच्छादित किया जाना चाहिये:

- अपशिष्ट प्रबंधन और उससे सम्बंधित क्रिया–कलापों हेतु प्रशासनिक प्रणाली को समझना (बहुआयामी तथा अंतर–क्षेत्रीय)
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर परिणामों हेतु मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को समझाना |
- उन्नत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्राप्ति हेतु सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण सहित अच्छी प्रणालियों व सुशासन को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान केन्द्रित करना |
- उपलब्धियों को बनाये रखने हेतु रणनीतियों का निरूपण करना |

आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षण एवं संचार)

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें जन भागीदारी ही सफलता की कुंजी है | बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इसमें समुदाय की व्यापक एवं प्रभावी भागीदारी हो | सूचना, शिक्षण और संचार (आई.ई.सी) आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं | स्वच्छ पर्यावरण हेतु नवीन प्रणाली की मांग को पूर्ण किये जाने हेतु समुदायों तथा विभिन्न भागीदारों के मध्य जागरूकता के लिये प्रत्येक स्तर पर विस्तृत समझ का होना आवश्यक है | इस योजना के अन्तर्गत मुख्य जोर सामुदायिक भागीदारी पर होने वाला है | जागरूकता एवं शिक्षण अभियान के माध्यम से नगर निगम के प्राधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया, व्यापार संघों, परिवारों और सामान्य जन को वृहद् स्तर पर लक्षित किया जाना चाहिए |

आई.ई.सी का प्रमुख उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि :

- स्रोत स्तर पर पृथक्करण की अवधारणा व आवश्यकता क्यों है,
- स्रोत स्थल पर ही अपशिष्ट को दो पृथक ग्राहियों में भंडारित किए जाने की आवश्यकता है एक जैव अपशिष्ट हेतु और दूसरा पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए,
- घरों में अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण में तथा उसे अपशिष्ट संग्राहक को सौंपे जाने में नागरिकों की भूमिका,
- अपशिष्ट संग्रह और निपटान सेवाओं के लिए भुगतान करने की आवश्यकता,
- सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदानों के प्रयोग करने की आवश्यकता,
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट का प्रभाव |

लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता है :

- घर–घर जा कर पर्चों, ब्रोशर, होर्डिंग, बैनर, हैंडबिल, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से जागरूकता व अभिप्रेरक कार्यक्रमों के संचालन द्वारा |
- रैलियाँ आयोजित करके |
- प्रमुख अवसरों पर उत्सव आयोजित करके (जैसे पर्यावरण दिवस),

- नुक्कड़ नाटकों के आयोजन द्वारा |
- सामूहिक सफाई – स्वच्छता अभियान द्वारा |
- स्कूल कार्यक्रमों को आयोजित करके
  - स्कूलों में इको–क्लबों का गठन तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन |
  - एनसीसी, एनएसएस, स्काउटस की भागीदारी के साथ साथ सिने कलाकारों, राजनैतिक एवं धार्मिक नेताओं की भागीदारी|
- प्रतियोगिताओं के माध्यम से पुरस्कार प्रदान करना (यथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वार्ड स्तर की स्वच्छता प्रोत्साहन समिति, इको हाउस, क्लीन हाउस)

- घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना |
- जन संचार के माध्यमों द्वारा
  - प्रिंट मीडिया (नियमित अंतराल पर विज्ञापन)
  - टेलीविजन, केबल टीवी, रेडियो और वेबसाइट
- सिनेमा हॉल "स्लाइड्स का प्रदर्शन"
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सामुदायिक स्वयंसेवकों हेतु व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी) सम्बन्धी जागरूकता कार्यशाला|
- पारस्परिक सम्प्रेषण (आईपीसी), सामुदायिक स्वयंसेवकों और सहायक संगठनों के माध्यम से प्रत्येक घर से संपर्क स्थापित करना, इन स्वयंसेवकों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार को संदेश सुनाया जायेगा और उस पर उनकी राय भी ली जाएगी। संदेशों के प्रसार और व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी) हेतु अभिसरण सिद्धांत को अपनाते हुए इसमें धार्मिक नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, युवा संगठनों, महिला मंडलों, आवास कल्याण समितियों और पूर्व–रिकॉर्ड किए हुये धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जायेगा|
- स्रोत पर पृथक्करण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आवास कल्याण समितियों (RWAs), समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), गैर सरकारी संगठनों (NGOs)/स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और बाजार संगठनों की भागीदारी आवश्यक है । स्थानीय नगरीय निकाय के कर्मचारियों और आवास कल्याण समितियों(RWAs) के प्रतिनिधियों, बाजार संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों(NGOs)/स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा अन्य भागीदारों के बीच नियमित बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि समुदाय इस व्यवस्था का अभ्यस्त हो सके |
- प्रत्येक वार्ड में स्वयंसेवकों अथवा प्राकृतिक नेताओं से युक्त वार्ड स्वच्छता प्रोत्साहन समिति की भागीदारी सुनिश्चित करना जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अग्रणी प्रचारकों के रूप में कार्य करेंगे और अपशिष्ट मुक्त उत्तर प्रदेश हेतु शपथ लेंगे | प्रत्येक समिति में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे |

अग्रणी गैर–सरकारी संगठनों/विज्ञापन एजेंसियों की भागीदारी के साथ आईईसी गतिविधियों को प्रारम्भ किया जाएगा। इन एजेंसियों द्वारा आई.ई.सी. अभियान हेतु नियम–पुस्तिका, फ्लिपचार्ट्स व अन्य मीडिया संचार जैसी आवश्यक सामग्रियों को तैयार किया जा सकता है |

पुराने क्षेपणों का पुनरूद्धार

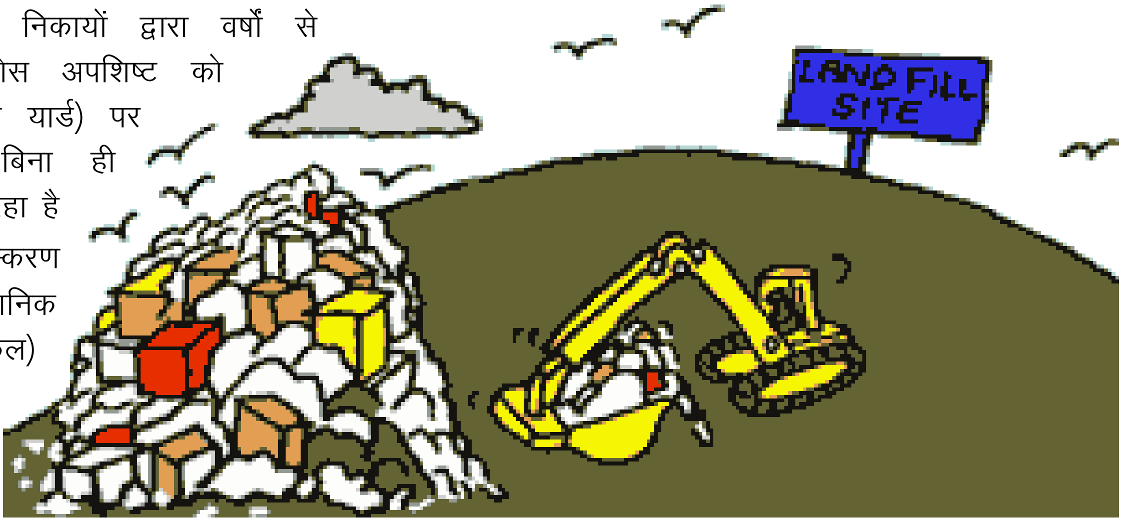

स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा वर्षों से नगरपालिकीय ठोस अपशिष्ट को क्षेपण स्थल (डंप यार्ड) पर प्रसंस्करण के बिना ही क्षेपित किया जा रहा है | अतः प्रसंस्करण संयंत्र व वैज्ञानिक भुमिभरण (लैंडफिल) सुविधा की स्थापना के अलावा स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा क्षेपण स्थलों का समयबद्ध तरीके से उद्धार किया जाना चाहिए | क्षेपणों के पुनरूद्धार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अन्तर्गत एक मुख्य घटक बनाया गया है | पुराने क्षेपण स्थलों में दबे हुए पुराने अपशिष्ट को ट्रैक्टर–हैरो द्वारा कई बार जुताई कर ढीला किया जाता है| फिर इस पर एक टैंकर–ट्रक द्वारा उच्च दबाव वाले पंप से कम्पोस्टिंग जैव–कल्चर का छिडकाव किया जाता है | इसे वयुपंक्तियों (विन्ड्रोज) के रूप में निर्मित कर प्रत्येक सप्ताह जेसीबी द्वारा पलटा जाना चाहिये | पलटने के प्रत्येक चरण पर किराये के कूड़ा बीनने वालों द्वारा दबे हुए पुनर्चक्रण योग्य सामानों को पृथक किया जायेगा जिसके उनके पारिश्रमिक की आंशिक प्रतिपूर्ति हो सकेगी | तीन–चार सप्ताह तक पलटने के पश्चात अपशिष्ट सूख जायेगा तथा उसका परिमाण घट जायेगा और अब यह हस्तचालित अथवा मशीन चालित सामान्य छलनी द्वारा छाने जाने हेतु तैयार होगा | प्रसंस्करण संयंत्र व वैज्ञानिक भूमिभरण सुविधा की स्थापना के एक वर्ष के भीतर क्षेपण पुनरूद्धार की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना चाहिए |

कई मामलों में जैव खनन की यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं भी हो सकती है | अतः ऐसे त्यक्त क्षेपण स्थलों पर वैज्ञानिक कैपिंग तथा भूदृश्यों, उद्यानों व हरित क्षेत्रों का विकास राज्य के वन और पर्यावरण विभाग की मदद से किया जायेगा |

सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान

नगरपालिकीय ठोस अपशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत सेनेटरी श्रमिकों हेतु आवश्यक औजारों व सामान सहित पर्याप्त सुरक्षात्मक वस्त्र एवं सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान शामिल होंगे | इसके अतिरिक्त स्थानीय नगरीय निकाय अपने सफाई कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे |

कूड़ा उठाने वालों व कबाड़ी वालों की सहभागिता

भारत में कूड़ा उठाने वाले अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं| भारत में, स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा मात्र 30–60: तक ही अपशिष्ट का संग्रहण किया जाता है जबकि कूड़ा उठाने वालों द्वारा 15–25% तक अपशिष्ट संग्रहण का अनुमान है| लगभग 10 लाख शहरी गरीब अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में लगे हुए हैं| तथापि देश की अधिकांश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं ने किसी न किसी तरह से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े इस अनौपचारिक क्षेत्र को पृथक रखा हुआ है | यह परिदृश्य इस तथ्य के

बावजूद है कि यदि इस वर्ग को शहरों और कस्बों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की मुख्यधारा से एकीकृत कर दिया जाए तो शहरी गरीबों को सुरक्षित आजीविका प्रदान करने के साथ–साथ उच्च लागत वाले गहन ऊर्जा प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने के व्यय को कम करने हेतु एक सुविधाजनक स्थिति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है ।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां छोटे आकार के स्थानीय नगरीय निकाय राज्य भर में फैले हुए हैं और शहरी आबादी का घनत्व बहुत अधिक है, वहाँ कूड़ा उठाने वालों के माध्यम से जैव–विघटनीय अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत कम्पोस्टीकरण और जैव–अविघटनीय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को अपनाये जाने की आवश्यकता है । अतः राज्य की नगरपालिकीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में कूड़ा उठाने वालों और कबाड़ी वालों की नेटवर्किंग अनिवार्य हो जाती है । इसलिए उन्हें पहचान पत्र और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराये जाने को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए ।

गैर सरकारी संगठनों स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता और सामुदायिक भागीदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्याप्त सामुदायिक भागीदारी की कमी से जूझ रहा है । नगर पालिका के मौजूदा कानून अपशिष्ट फैला कर स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों हेतु घरों / भवन स्वामियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई के प्रावधान करते हैं जैसे कि कूड़ा आदि फैलाने जैसे उल्लंघनों हेतु जुर्माना| राष्ट्रीय हरित अधिकरण और माननीय न्यायालयों ने भी नियमों के उल्लंघन और पर्यावरणीय क्षति सम्बन्धी मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे को वसूले जाने के सिद्धांत निर्धारित किये हैं । तथापि, दंडात्मक कार्रवाई अब तक प्रमुख निवारक साबित नहीं हो सकी है । जिसका कारण प्रवर्तन में कमी और अत्यंत कम जुर्माने हैं । साथ ही, जनता द्वारा अक्सर आने वाले स्थानों में प्रावधानों का प्रचार किया जाना चाहिये (खाने–पीने के स्थान, खरीदारी स्थल) ।

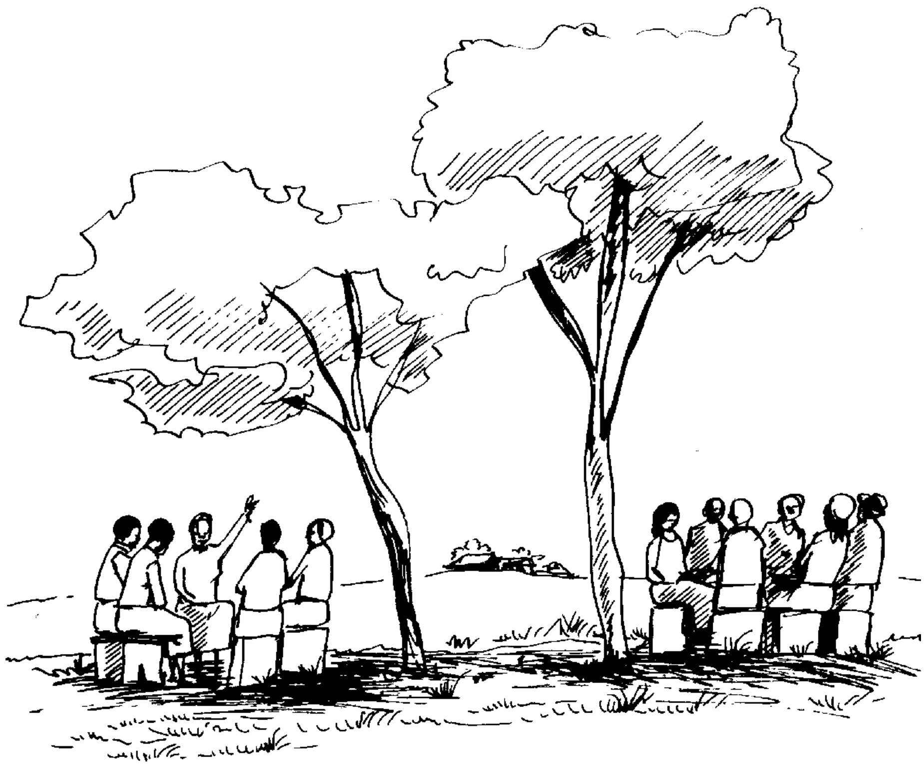

नगर पालिकीय ठोस अपशिष्ट का सफल क्रियान्वयन और प्रबंधन बहुत हद तक कूड़ा फैलाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के कठोर प्रवर्तन से सम्बंधित है । स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा अपनी उप–विधियों में जुर्माने की राशि का पर्याप्त मात्रा में संशोधन कर इसे निवारक बनाते हुये तत्काल इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

राज्य सरकार द्वारा सहायता : नीति प्रपत्र

1. राज्य सरकार को उन स्थानीय नगरीय निकायों की सहायता बढ़ा देनी चाहिए जिनके द्वारा इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ठोस अपशिष्ट सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए समयोचित एवं प्रभावी कदम उठाये गये गये हों | राज्य सरकार द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग तथा अवसंरचना के तहत धन अवमुक्त किया जायेगा जो कि स्थानीय नगरीय निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उनके राजस्व उत्पादन/संग्रह की प्रदर्शन क्षमता पर निर्भर करेगा |

सहायता/प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित रूपों में हो सकेगी :

i. अपशिष्ट न्यूनीकरण हेतु प्रोत्साहन |
ii. वार्ड तथा स्थानीय नगरीय निकाय को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ) बनाने हेतु |
iii. द्वार–द्वार संग्रहण, पृथक्करण, कूड़ा फैलाने को निषिद्ध किए जाने और उपयोक्ता शुल्क लागू किये जाने सम्बंधी नियमों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन |
iv. उपयोक्ता शुल्क के 100% संग्रहण हेतु प्रोत्साहन |
v. ''शून्य अपशिष्ट'' उत्पादक स्थानीय नगरीय निकाय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहन
vi. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों से कबाड़ी वालों, कूड़ा उठाने वालों व स्वयं सहायता समूहों आदि जैसे अनौपचारिक वर्ग को एकीकृत करने वाले स्थानीय नगरीय निकाय को प्रोत्साहन |
vii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यथा उपस्थिति, सफाई कार्यों के संचालन जियो–टैगिंग, और जीपीएस आधारित अपशिष्ट का परिवहन आदि की निगरानी हेतु ई–शासन उपकरणों का उपयोग करने वाली स्थानीय नगरीय निकायों को प्रोत्साहन |

2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण) में निजी भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये |

क) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकर्ता अथवा भागीदार की आवश्यकता मात्र दीर्घावधि (25–30 वर्षों) लीज पर भूमि और स्थानीय नगरीय निकाय से ठोस अपशिष्ट की हो :

किसी निजी इकाई/निवेशक/गैर सरकारी संगठन/संगठन द्वारा बिना किसी वित्तीय सहायता की मांग के, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु राज्य के किसी भी स्थानीय नगरीय निकाय अथवा स्थानीय नगरीय निकायों के समूह–क्षेत्र हेतु कोई भी प्रस्ताव एक बार अथवा अनेकों बार सरकार/निदेशालय को उपलब्ध कराया गया हो तो ऐसे प्रस्ताव को इस उद्देश्य के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जांचा जायेगा और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमतियां ऐसी समिति की सिफारिशों के आधार पर दी जाएगी, जो कि स्थानीय नगरीय निकाय की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हो | ऐसी अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी :

i. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय नगरीय निकाय के पास उपलब्ध आवश्यक भूमि को पट्टे पर 1 रूपये / वर्ग मी वार्षिक किराये पर दिया जायेगा |
ii. विकासकर्त्ता को उपलब्ध करायी गयी भूमि का उपयोग अनुमत परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि हेतु नहीं किया जायेगा |
iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि को बंधक नहीं रखा जायेगा |
iv. भूखंड तक पहुँच मार्ग/विद्युत/पानी/मार्ग प्रकाश/जल निकासी/सीवर आदि की सुविधा का विकास स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा | विकासकर्त्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया द्वारा

उत्पादित होने वाले उत्पादों अथवा समवर्ती उत्पादों को बेचने हेतु अधिकृत होगा |

ख) ऐसे मामलों में जहाँ निजी निवेशकों अथवा भागीदारों को 35% तक व्यवहार्यता अंतर राशि की सुरक्षा आवश्यक हो अथवा उपभोग होने वाले ठोस अपशिष्ट हेतु प्रति टन बख्शीश/टिप की अथवा उत्पादित विद्युत उर्जा पर प्रति यूनिट शुल्क की अथवा उत्पादित कम्पोस्ट पर प्रति इकाई शुल्क की आवश्यकता हो |

अपशिष्ट ऊर्जा, अपशिष्ट से पेलेट, अपशिष्ट से कम्पोस्ट,प्लास्टिक से तेल आदि परियोजनायें सामान्यतः इस वर्ग में आती हैं | ऐसी सार्वजानिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु विकासकर्त्ता के चयन की प्रक्रिया में शासन द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया जायेगा |

ग) ऐसे मामलों में जहाँ नगरपालिकीय अपशिष्ट के द्वार–द्वार संग्रहण की गतिविधि भी शामिल हो और आवेदक संगठन द्वारा इसके लिए स्थानीय नगरीय निकाय से कोई धन न लिया जा रहा हो |

ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक संगठन ठोस अपशिष्ट के द्वारा–द्वार संग्रहण को किए जाने हेतु इच्छुक हो और वह स्थानीय नगरीय निकाय अथवा राज्य से बिना कोई धन लिये मोलभाव के आधार पर उपयोक्ता शुल्क को घरों अथवा भवन स्वामी से लिए जाने हेतु तैयार हो तो उसे वार्ड अथवा वार्डों अथवा पूरे शहर / कस्बे को अधिकतम पॉच वर्षों हेतु सौंपा जा सकता है | आपसी समझौते के आधार पर इसे आगामी तीन वर्षों हेतु पुनः नवीकृत किया जा सकता है | उपर्युक्त पैरा 2 के खंड (अ) के अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय देगी | स्थानीय नगरीय निकायें उपलब्ध पार्कों, भूमिभरण स्थलों अथवा अन्य उपयुक्त जगहों को कम्पोस्टिंग, पृथक्करण और संग्रहित अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु प्रति वर्ग मी0 वार्षिक किराया रूपये 1 पर तीन वर्षों हेतु पट्टे पर देगी। स्थानीय नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक से अधिक अभिकरणों को नियुक्त कर सकेगी |

3. त्यक्त भूमि भरण स्थलों का प्रबंधन

विभाग अथवा स्थानीय नगरीय निकाय त्यक्त भूमि भरण स्थलों की वैज्ञानिक कैपिंग के कार्य को वन एवं पर्यावरण विभाग की सहायता से संपन्न करेंगे| ऐसे भूमि भरण स्थलों की सूची नगर विकास विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराएगा जो ऐसे स्थलों की वैज्ञानिक कैपिंग और विकास भूदृश्यों अथवा पार्कों अथवा हरित क्षेत्र के रूप में करने हेतु परियोजना का निर्माण करेंगे | स्वच्छ भारत अभियान(शहरी) के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने वाली समिति के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें क्रियान्वयन हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा |

ठोस अपशिष्ट के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यः

क्र0सं0	अपशिष्ट के श्रेणी	भारत में प्रतिवर्ष उत्पन्न अपशिष्ट	उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष उत्पन्न अपशिष्ट
1	ठोस अपशिष्ट	6.2 करोड टन	5.47 लाख टन
2	प्लास्टिक अपशिष्ट	56 लाख टन	
3	जैव–चिकित्सा अपशिष्ट	1.7 लाख टन	
4	हानिकारक अपशिष्ट	79 लाख टन	
5	ई– कचरा	15 लाख टन	

भारत में एकत्रित एवं उपचारित अपशिष्ट की स्थिति

क्र0सं0	कचरे के श्रेणी	वार्षिक राशि
1	एजेन्सियों द्वारा एकत्रित अपशिष्ट	4.3 करोड टन
2	उपचारित	1.19 करोड टन
3	निचले क्षेत्रों में फेका गया अपशिष्ट	3.10 करोड टन
4	अपशिष्ट के संग्रहण में शहरी स्थानीय निकायों के अंश	75–80 प्रतिशत
5	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कुल संग्रहण में उपचारित अपशिष्ट	22–28 प्रतिशत

विविध अपशिष्टों के विघटन में लिया गया समय–

क्र0सं0	अपशिष्ट के श्रेणी	वर्षो में समय
1	प्लास्टिक का थैला	20–1000
2	प्लास्टिक की बोतल	400
3	पॉलिस्टीन कप	50
4	प्लास्टिक कोटेड पेपर कप	30
5	कॉच की बोतल	1000000
6	डिस्पोज़ल योग्य नैपकिन	450
7	एल्युमिनियम के डिब्बे	80–200
8	सिगरेट का टुकड़ा	1–5
9	मोम की परत वाला दूध का डिब्बा	3 महीने
10	कागज की तौलिया	2–4 सप्ताह

संलग्नक–1

परिभाषाएँ–

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 में उल्लिखित कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित है:

1. **वातजीवी कम्पोस्टीकरण (Aerobic Composting)**: से आक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अन्तवर्लित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत हैं।
2. **अवायुजीवी उपचारण (Anaerobic Digestion)**: से आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अन्तवर्लित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।
3. **प्राधिकार (Authorisation)** से यथास्थिति राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा किसी प्रसुविधा के प्रचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के उत्तर दायित्व किसी और अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा अभिप्रेत है।
4. **जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट (Biodegradable Waste)** से कोई कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है।
5. **जैविक मिथेनीकरण (Biomethanation)**से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है।
6. **ब्रांड स्वामी (Brand Owner)** से कोई व्यक्ति या कम्पनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्टीकृत ब्राण्ड लेवल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।
7. **मध्यवर्ती परिक्षेत्र (Buffer Zone)** से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जायेगा। इसे ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जायेगा।
8. **भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक (Bulk Waste Generator)** इसके अन्तर्गत औसतन 100 किलोग्राम प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनसे केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राईवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी हैं।
9. **उपविधि (Bye-laws)** से स्थानीय निकाय, जनगणना शहर और अधिसूचित क्षेत्र टाउनशिप द्वारा अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में इन नियमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढॉचा अभिप्रेत है।
10. **जनगणना नगर (Census Town)** से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा परिभाषित शहरी क्षेत्र अभिप्रेत है।
11. **ज्वलनशील अपशिष्ट (Combustible Waste)** से प्लास्टिक, काष्ठ लुग्दी आदि जैसे क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर–जैव अवक्रमणीय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर–पुनः उपभोज्य–गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत हैं जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से न्यूनतम कैलोरिफिक मान हो।
12. **कम्पोस्टीकरण (Composting)** से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अन्तवर्लित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।
13. **ठेकेदार (Contractor)** से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या

करती है।

14. **सह प्रसंस्करण (Co-processing)** से प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को प्रतिष्ठापित करने या उन्हें अनुपूरित करने, दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्त्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर–जैव अवक्रमणीय या गैर–पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है।
15. **विकेन्द्रित प्रसंस्करण (Decentralized Processing)** से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्त्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।
16. **निपटान (Disposal)**– से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनूसुची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंकरण के उपरान्त अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा, करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान अभिप्रेत हैं।
17. **घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट (Domestic Hazardous Waste)** – से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फैके हुए पेन्ट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइटें, अवधि समाप्त औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियॉ, प्रयुक्त सुइया तथा सिरिन्ज और संदूषित पट्टियॉ आदि अभिप्रेत हैं।
18. **द्वार– द्वार संग्रहण (Door to Door Collection)**– से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्य या संस्थागत काम्प्लेक्स या परिसरो में भूतल पर प्रवेश द्वारा या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत हैं।
19. **शुष्क अपशिष्ट (Dry Waste)** – से जैव– निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा – करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत पुनर्चकणीय अपशिष्ट, गैस पुनर्चकणीय अपशिष्ट, दाहा अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी हैं।
20. **क्षेपण स्थल (Dump Sites)** – से जिसका स्वास्थ्यकर भूमिभरण के लिए सिद्धांतों को पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गई कोई भूमि अभिप्रेत हैं।
21. **विस्तारित उत्पादक दायित्व (Extended Producer Responsibility)** – से पैकेजिंग उत्पादों के जीवन काल के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए, पैकेजिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, कांच और कॉरूगेटेड बक्सों इत्यादि के किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व अभिप्रेत हैं।
22. **सुविधा (Facility)** – में ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रक्रियाऍ अर्थात पृथक्करण पुनःप्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चकण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किया जाता है।
23. **जुर्माना (Fine)** – से इन नियमों तथा/अथवा उप–विधियों के निर्देशों के अनुपालन के लिए उपविधियों के अधीन अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रसंस्करण के प्रचालकों और निपटान सुविधाओं पर लगाए गए जुर्माना अभिप्रेत हैं।
24. **प्ररूप (Form)** – से इन नियमों से उपबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं।
25. **प्रहस्तन (Handling)** – के अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनःप्राप्ति,

संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गढ़ा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित सभी क्रियाकलाप भी हैं।

26. **निष्क्रिय (Inert)** – से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनःचक्रणीय या दाह नहीं है, गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकली गई धूल तथा गाद भी हैं।

27. **भस्मीकरण (Incineration)** – से उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्वलित इंजीनियरीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत हैं।

28. **अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक (Informal Waste Collector)** – के अन्तर्गत व्यष्टि, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद से अंतर्वलित हैं।

29. **निक्षालितक (Leachate)** – से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमें घुली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व हैं।

30. **स्थानीय निकाय (Local Body)** – से अभिप्रेत इन नियमों के प्रयोजन के लिए और जिसके अंतर्गत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, म्यूनिसिपल कौंसिल, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, म्युनिसपल बोर्ड, नगर पंचायत, और टाउन पंचायत, जनगणना नगर, अधिसूचित क्षेत्र और भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक नगरी चाहे उसका कोई भी नाम से पुकारा जाए, भी हैं।

31. **सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (Material Recovery Facility-MRF)** – से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहॉ गैर कंपोस्टीय ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित कोई अन्य अस्तित्व या इसमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे परिदान या देने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित अस्तित्व द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या कोई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण, छंटाई या पुनर्चक्रण योग्य की पुनप्राप्ति की प्रसुविधा हैं।

32. **अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (Non-Biodegradable Waste)** – से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थाई यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता हैं।

33. **सुविधा का प्रचालक (Operator of a Facility)** – से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए सुविधा का स्वामी है या प्रचलित करता है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी हैं।

34. **प्राथमिक संग्रहण (Primary Collection)** – से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्त्रोत जिसके अन्तर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी है से या किसी संग्रहण बिन्दु या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विर्निदिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत हैं।

35. **प्रसंस्करण (Processing)** – से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनः चकित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है।

36. **पुनर्चक्रण (Recycling)** – से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत हैं, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा।

37. **पुनर्विकास (Redevelopment)** – से जहॉ विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएँ जीर्णशीर्ण हो गई

है वहॉ उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुनर्निर्माण अभिप्रेत हैं।

38. **कचरा व्युत्पन्न ईंधन (Refused Derived Fuel –RDF)** – से ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और सहंनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित वाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत हैं।
39. **अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट (Residual Solid Waste)** – से और उसके अंतर्गत ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है, से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है।
40. **स्वास्थ्यकर भूमिभरण (Sanitary Land Filling)** –से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अंतिम और सुरक्षित निपटान और भूजल, सतही जल या क्षणभंगुर वायु धूल, हवा से उड़ा हुआ कूड़ाकरकट, दुर्गन्ध, अग्नि परिसंकट, पशुओं का खतरा, पक्षियों का खतरा, नाशकजीव, कृंतकनाशी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपयों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है।
41. **स्वास्थ्यकर अपशिष्ट (Sanitary Waste)** – से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकर तौलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कन्डोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है।
42. **अनुसूची (Schedule)** –से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
43. **गौण भंडारण (Secondary Storage)** –से प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या एमआरएफ या आधानों पर संग्रहण के पश्चात् ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है।
44. **पृथक्करण (Segregation)** –से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्ट, गैर पुनःचक्रणयोग्य दाह्य योग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भी है, की छंटाई और पृथक भंडारण अभिप्रेत है।
45. **सेवा प्रदाता (Service Provider)** –से जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि अभिप्रेत हैं।
46. **ठोस अपशिष्ट (Solid Waste)** – से ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में वर्णित अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर–आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्ट और ई–अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियों सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है।
47. **छंटाई करना (Sorting)** –से मिश्रित अपशिष्ट से पुनःचक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गो जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनःचक्रण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है।
48. **स्थिरीकरण (Stabilising)** – से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपघटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षलन या अरूचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, भू कटाव नियंत्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है।
49. **मार्गविक्रेता (Street Vendor)** –से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खडंजा, सार्वजनिक

उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, सौदा, खाद्य मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत फेरीवाला, पैकार, आबादकर तथा ऐसी सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, भी हैं और मार्ग विक्रय शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तद्नुकूल किया जाएगा।

50. **बख्शीश फीस (Tipping Fee)** – से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य अभिकरण द्वारा कोई फीस या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए अवधारित संदत्त है।

51. **अंतरण स्थल (Transfer Station)** – से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है।

52. **परिवहन (Transportation)**– से ठोस अपशिष्ट जो वह या तो उपचारित आंशिक उपचारित या अनुपचारित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गन्ध, कूड़ा कचरा और घृणित दशा को रोकने के लिए प्रवहन अभिप्रेत है।

53. **उपचार (Treatment)**– से किसी अपशिष्ट के भौतिक, रसायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है।

54. **उपयोक्ता फीस (User Fee)**– से ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने में अपशिष्ट जनित पर स्थानीय निकाय और नियम–2 में वर्णित किसी अस्तित्व द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है।

55. **कृमि कम्पोस्ट बनाना (Vermi -Composting)** – से केचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में सपंरिवर्तित करने की जैव निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है।

56. **अपशिष्ट जनित्र (Waste Generator)** – से और इसके अंतर्गत सम्मिलित से, रेल तथा रक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय स्थापनाएं भी है, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, अभिप्रेत है।

57. **अपशिष्ट की क्रमबद्धता (Waste Hierarchy)** – से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू–भरण में निपटान को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा।

58. **अपशिष्ट चुनने वाला (Waste Picker/Rag Picker)** – से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्त्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं।